

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला - भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना - प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0 संख्या..... 75/2022 दिनांक..... 8/3/2022
2. (1) अधिनियम- पी.सी एक्ट 1988..... धाराएँ- 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम..... धाराएँ.....
(3) अधिनियम..... धाराएँ.....
(4) अन्य अधिनियम एवं..... धाराएँ.....
3. (क) घटना का दिन :- दिनांक - 16.07.2021
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - दिनांक 16.07.2021 समय 02.48 पी0एम0
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 163 समय..... 5.00 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित या मौखिक)..... लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - पूर्व दिशा की ओर चौकी से दूरी करीब 110 किलोमीटर
वीट संख्या..... जुरामदेही सं.....
(ख) पता :- गांव सेमली तलहटी, थाना-कस्बाथाना तहसील-शाहबाद
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..... जिला
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री विरेन्द्र जाटव
(ख) पिता/पति का नाम :- श्री पप्पूराम जाटव
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- उम्र 24 साल
(घ) राष्ट्रियता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या..... जारी करने की तिथि..... जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय -
(छ) पता :- ग्राम सेमली तलहटी, थाना कस्बा थाना, तहसील शाहबाद जिला बारां।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
 1. श्री कल्याण प्रसाद मेहता पुत्र श्री पूरब चन्द मेहता निवासी कस्बाथाना, शाहाबाद, बारां (राज0)
हाल बेयर फुट टेक्निशियन, पंचायत समिति, शाहाबाद, बारां (राज0)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य:-
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-
महोदय

हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव पुत्र श्री पप्पूराम जाटव जाति जाटव उम्र 24 साल निवासी ग्राम सेमली तलहटी, थाना कस्बा थाना, तहसील शाहबाद जिला बारां ने दिनांक 16.07.2021 को ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां श्री गोपाल सिंह कानावत को पेश किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया। परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव ने मजमून दरयाप्त पर अवगत कराया है कि "मैं सेमली तलहटी ग्राम पंचायत बमनगंवा पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां का रहने वाला हूँ। मैं नरेगा में मेट हूँ। मुझे नरेगा ऑफिस शाहाबाद से दिनांक 05.07.2021 से 19.07.2021 तक 49 मजदूरों का मस्ट्रोल सेमली में काम कराने का दिया। इस मस्ट्रोल पर मैंने 49 मजदूरों से काम शुरू कराया, जिनमें 18 मजदूर रोज काम करने आ रहे हैं। बाकि काम पर नहीं आने वाले मजदूरों की मैं गैर हाजरी लगा रहा हूँ। मेरे से नरेगा ऑफिस शाहाबाद में जेईएन साहब से नीचे कार्यरत कल्याण सिंह मेहता बीएफटी साहब ने मजदूरी के बिल बनाने के लिए 20 परसेन्ट मजदूरी का कमिशन रिश्वत के रूप में दिनांक 07.07.2021 को मेरे मोबाईल नं. 8302751101 से उसके मोबाईल नं. 9587455367 पर बात करके मांग रहा है। मेरे मस्ट्रोल पे जो मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। इनका 13 दिन का बिल करीब 46000 रुपये का बनेगा जिसमें 20 परसेन्ट रिश्वत राशि 9200 रुपये होती है। मैं श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी सरकारी अधिकारी नरेगा ऑफिस शाहाबाद को रिश्वत नहीं देना चाहता। उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से कोई रंजिश नहीं है। मेरी कल्याण

अनिष

सिंह मेहता बीएफटी से लेन-देन के रुपये बाकि नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करे। "परिवादी श्री विजेन्द्र जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 03.20 पी0एम0 पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस परिवादी को मय शिकायत प्रार्थना पत्र के अपने कक्ष में लेकर गया। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि की मांग एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने पर परिवादी से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी आज मुझे हमारे गांव में ही मिलेंगे, वहां पर ही मैं उनसे रिश्वत की बात कर लूंगा।

समय 03.55 पी0एम0 पर परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी विरेन्द्र जाटव का परिचय श्री त्रिभुवन शर्मा कानि0 153 से करवाया। कार्यालय के मालखाने से दो डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को चलाने व बन्द करने का तरीका विधिवत समझाया गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में पूर्व से कोई वार्ता रिकार्ड नहीं होने की संतुष्टि के पश्चात परिवादी को सुपुर्द किये गये। परिवादी को स्वयं के कार्य व रिश्वत की स्पष्ट मांग के सम्बन्ध में आरोपी से वार्ता करने की समझाईश की गई। परिवादी को समझाया गया कि वह आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर ले तथा आरोपी और उसके बीच होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे। सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री त्रिभुवन शर्मा कानि0 153 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहकर वार्ता को सुनने की हिदायत देकर परिवादी के गांव सेमली तलहटी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई।

समय 10.25 पी0एम0 पर रवानाशुदा श्री त्रिभुवन शर्मा कानि0 153 उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व में परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को सुपुर्दशुदा दो डिजीटल वाईस रिकार्डर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि "मैं और परिवादी कार्यालय से मोटर साईकिल से रवाना होकर परिवादी के गांव सेमली तलहटी पहुचे। परिवादी ने आरोपी को फोन किया तो आरोपी ने परिवादी को गांव के बाहर मिलने को कहा। इस पर परिवादी दोनो डिजीटल वाईस रिकार्डरो को चालू कर आरोपी के बताये जगह पर गांव के बाहर पहुचा। मैं परिवादी से दूरी बनाये हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और दोनो डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मुझे दिये तथा बताया कि मेरी श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से मेरे काम के संबंध में बात की तो श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी ने मुझसे मेरे काम के बदले में रिश्वत की मांग की है। उसने मुझसे पांच हजार रुपये देने को कहा है और वह पैसे मुझसे उन्नीस तारीख को लेगा। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई वह मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डरो में रिकार्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि शाम हो गई है और मेरे घर पर आवश्यक कार्य भी है इसलिये मैं बारां चलने में असमर्थ हूँ। इसलिये परिवादी को निर्देशानुसार उसके गांव ही छोडकर तथा मामले की गोपनीयता बनाये रखने व निर्देशानुसार दिनांक 19.07.2021 को 10.00 एएम पर कार्यालय में मय रिश्वत राशि के उपस्थित आने की हिदायत कर उपस्थित कार्यालय आया हूँ"। डिजिटल वाईस रिकार्डरो में रिकार्ड वार्ता को मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो श्री त्रिभुवन कानि0 153 के कथनो की पुष्टि होना पाया गया। दोनो डिजीटल वाईस रिकार्डरो को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर्स पृथक से तैयार की गई। श्री त्रिभुवन कानि0 व रिकार्ड वार्ता अनुसार ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 19.07.2021 समय 09.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 को एक लिखित तहरीर अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त बारां के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कर साथ लाने हेतु रवाना किया। समय 10.00 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514 मय स्वतंत्र गवाह श्री सियाराम जाट पुत्र श्री भंवरलाल जाट जाति जाट उम्र 24 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बोरखण्डीकलां थाना पीपलू, तहसील पीपलू जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड मांगरोल, जिला बारां हाल कार्यालय जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां एवं श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री लीलाराम जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी 7 गुर्जर मोहल्ला ग्राम मोराका थाना नगर तहसील नगर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड भंवरगढ, जिला बारां हाल कार्यालय जन संसाधन खण्ड तृतीय बारां के उपस्थित आया। समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव उपस्थित कार्यालय आया।

अनिष